न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः—88,53 आरटीए
प्रकरण संख्याः— 97 / 2019

1. शिवराजसिह पुत्र श्री बलतेजसिह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. जसकरणसिह पुत्र बलतेजसिह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री परमजीतसिह अधिवक्ता वादी
श्री श्योकतअली अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :— 02-07-2019

वादी शिवराजसिह ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एंवम् प्रतिवादी सं0 1 एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में भाई है। वादी की कृर्षि भूमि चक 10 एफटीपी के खाता सं0 140 / 113 जमाबन्दी संवत 2073 ता 2076 में 2.961 है0, चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 141 / 39 जमाबन्दी संवत 2073 ता 76 में .050 है0 तथा चकनं0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 105 / 94 में .095 है0 तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चकनं0 12 एफटीपी ए जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 29 / 33 में 3.770 है0 तथा इसी चक के खाता सं0 105 / 94 में .095 है0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी के कब्जा काश्त के सम्बन्ध में आपस में विवाद हो गया था जिसको पंचायत व रिश्तेदारो ने वआपस मे राजीना करवा दिया था तथा राजीनामा के अनुसार कब्जा काश्त की सहुलियत के अनुसार वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार पुनः घरा घरू बटवारां में भूमि प्राप्त हुई थी जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने कब्जा काश्त की भूमि को अपनी मेहनत व प्रयासों से समतल कर उपजाउ योग्य बनाया है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार दर्ज नही होने से तथा वादी की भूमि का खाता प्रतिवादी के साथ संयुक्त रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार घरू बटवारां में प्राप्त भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी भूमि का खाता अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने तथा वादी की भूमि का खाता अलग से कायम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गया। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में भाई है। हम पक्षकारान का वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आपस में घरू बटवारां किया हुआ है व वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

ही हम पक्षकारान अपनी अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि वादी व मुझ प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर उसी अनुसार भूमि का खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जाती है तो मुझ प्रतिवादी को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीसं0 2 स्टेट की ओर से जबाबदावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीा व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 3 के अनुसार अपास में राजीनामा हो गया है। वादी के वाद को प्रतिवादी ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादी शिवराजसिह को चकनं0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 29/33 के प0न0 194/247 मु0 49 किलानं0 3,4,6,7,8/1. 265 है0 व चकनं0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 105/94 के प0न0 194/247 मु0 49 कलानं0 13/.031, 14/.063 कुल .094 है0 का तथा प्रतिवादी जसकरण सिह को चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 141/39 के प0न0 200/242 मु0 31 कलानं0 24/1/.020, 25/1/.030 कुल .050 है0 तथा चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 140/113 के प0न0 200/243 मु0 34 किलानं0 4/2/.178, 5/.228, 6/.228, 15/. 228, 16/.228, 25/.228 कुल 1.318 है0 भूमि के खाातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने तथा चकनं0 12 एफटीपी ए के ख़ाता सं0 29/33 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम करने तथा इसी चक के खाता सं0 105/94 मे से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन करने व चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 141/39 व इसी चक के खातासं0 140/113 मे से वादी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–97/2019

1. शिवराजसिह पुत्र श्री बलतेजसिह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. जसकरणसिह पुत्र बलतेजसिह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री परमजीतसिह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री श्योक्तअली प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी शिवराजसिह को चकनं0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 29/33 के प0न0 194/247 मु0 49 किलानं0 3,4,6,7,8/1.265 है0 व चकनं0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 105/94 के प0न0 194/247 मु0 49 कलानं0 13/.031, 14/.063 कुल .094 है0 का तथा प्रतिवादी जसकरण सिह को चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 141/39 के प0न0 200/242 मु0 31 कलानं0 24/1/.020, 25/1/.030 कुल .050 है0 तथा चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 140/113 के प0न0 200/243 मु0 34 किलानं0 4/2/.178, 5/.228, 6/.228, 15/.228, 16/.228, 25/.228 कुल 1.318 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने तथा चकनं0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 29/33 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम करने तथा इसी चक के खाता सं0 105/94 मे से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन करने व चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 141/39 व इसी चक के खातासं0 140/113 मे से वादी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02.07.2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner